रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2005/ज्येष्ठ 19, 1927
No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2005/JYAISTHA 19, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2005

सा.का.नि. 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 है;

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया.**—अधिनियम की धारा 177 की उप-धारा (3), धारा 178 की उप-धारा (3) और धारा 181 की उप-धारा (3) के अधीन विनियमों के पूर्व प्रकाशन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी :—

(1) प्राधिकरण या समुचित आयोग विनियम बनाने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए विनियमों का प्रारूप प्रकाशित करेगा;

(2) प्रकाशन ऐसी रीति से किए जाएंगे जो प्राधिकरण या समुचित आयोग पर्याप्त समझे;

(3) प्रारूप विनियमों के साथ एक तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए यह सूचना भी प्रकाशित की जाएगी कि उस तारीख को या उसके पश्चात् प्रारूप विनियमों पर विचार किया जाएगा;

(4) ऐसे प्राधिकरण या समुचित आयोग, जिसके पास विनियम बनाने की शक्तियां हैं, किसी ऐसे आक्षेप या आपत्ति पर विचार करेगा जो किसी व्यक्ति से प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राधिकरण या समुचित आयोग द्वारा प्राप्त किए जाएं।

4. पूर्व प्रकाशन के पश्चात् विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन करना यह निश्चायक सबूत होगा कि विनियम सम्यक् रूप से बनाए गए हैं।

[फा.सं. 23/26/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव